न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 05/2020

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

मैसर्स टम्मू टेन्ट हाउस, लाखन कोटडी, दरगाह बाजार, अजमेर जरिये श्री डालचन्द साहू पुत्र श्री भागचन्द साहू, निवासीः लाखन कोटडी, दरगाह बाजार, अजमेर। ....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्र्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः– श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 03.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.12.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यवसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर से उपभोक्ताओं को गैस भरकर बेचने का व्यवसाय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से आठ व्यावसायिक छोटे अनसील्ड सिलेण्डर

S.NO	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	070971	BPCL	8.0kg	8.5kg	0.5kg	अनसील्ड व्यावसायिक छोटे सिलेण्डर
2	009126-S	BPCL	8.0kg	9.0kg	1.0kg	अनसील्ड व्यावसायिक छोटे सिलेण्डर
3	03458-S	BPCL	8.2kg	10.2kg	2.0kg	अनसील्ड व्यावसायिक छोटे सिलेण्डर
4	087232	BPCL	8.1kg	8.1kg	-	अनसील्ड व्यावसायिक छोटे सिलेण्डर
5	067169	BPCL	8.2kg	8.2kg	-	अनसील्ड व्यावसायिक छोटे सिलेण्डर
6	024273-T	BPCL	8.2kg	9.2kg	1.0kg	अनसील्ड व्यावसायिक छोटे सिलेण्डर
7	27534-T	BPCL	8.1kg	8.7kg	0.600kg	अनसील्ड व्यावसायिक छोटे सिलेण्डर
8	25099	BPCL	8.2kg	9.1kg	0.900kg	अनसील्ड व्यावसायिक छोटे सिलेण्डर

को कब्जेराज लिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा अनसील्ड गैस सिलेण्डर के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। चूकि एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त अनसील्ड व्यावसायिक छोटे सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रायान गैस सर्विस, अजमेर के कार्मिक श्री अयूब खान पुत्र श्री कयूम खान, निवासीः फकीरखेडा, किशनपुरा रोड, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

के तहत जब्तशुदा 08 अनसील्ड व्यावसायिक छोटे सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी/ अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित आये। जवाब नोटिस पेश किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.12.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 08 अनसील्ड व्यावसायिक छोटे सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी ने कथन किया कि गुलाब गैस एजेन्सी, अजमेर द्वारा प्रार्थी को अन्डरटेंकिग प्राप्त है। प्रार्थी गुलाब गैस एजेन्सी का कर्मचारी है। भरे हुए छोटे सील पैक सिलेण्डर सुबह आतें है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से वितरण के पश्चात शाम को एजेन्सी पर जमा हो जाते है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः प्रकरण न्यायहित में निस्तारित फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसाय किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी. जी. आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये उक्त 08 अनसील्ड व्यावसायिक छोटे सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner